बिहार सरकार

परिवहन विभाग

सं0सं0–05/स्था0(आरोप)–01/2016 1480 **पटना, दिनांक** 17/03/2016

आदेश

जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापांक–82 दिनांक–15.03.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, भोजुपर (आरा) अतिरिक्त प्रभार मोटरयान निरीक्षक, अरवल को निगरानी विभाग द्वारा 44,000/–(चौवालीस हजार रूपये) यथा सूचित, रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

निगरानी टीम द्वारा श्री विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, को गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0–1479, दिनांक–17.03.2016 द्वारा निलंबित किया गया है।

श्री विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर (आरा) सम्प्रति प्रतिनियुक्त मोटरयान निरीक्षक, अरवल के निलम्बन के फलस्वरूप कार्यहित में अगले आदेश तक श्री राजीव रंजन, मोटरयान निरीक्षक, बक्सर को मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर (आरा) का अतिरिक्त प्रभार एवं श्री रणजीत कुमार, मोटरयान निरीक्षक, औरंगाबाद को मोटरयान निरीक्षक, अरवल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. उपरोक्त दोनों मोटरयान निरीक्षक तीन दिन अपने मूल पदस्थापन स्थान के जिले में एवं तीन दिन अतिरिक्त प्रभार वाले जिले में कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

17.3.16

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञाप सं0–05/स्था0(आरोप)–01/2016 1480 **पटना, दिनांक** 17/03/2016

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, बक्सर/भोजपुर(आरा)/अरवल/औरंगाबाद/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/गया/जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/भोजपुर(आरा)/अरवल/औरंगाबाद एवं श्री राजीव रंजन, मोटरयान निरीक्षक, बक्सर/श्री रणजीत कुमार, मोटरयान निरीक्षक, औरंगाबाद/श्री विनोद कुमार, निलंबित मोटरयान निरीक्षक, मुख्यालय संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.16

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञाप सं0–05/स्था0(आरोप)–01/2016 1480 **पटना, दिनांक** 17/03/2016

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/परिवहन विभाग, मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.16

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना